

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक : 5 जून, 2018

संख्या-1/पी0-1001/2016(खण्ड)-सा0प्र0- 7403 /सुश्री रंजिता, भा0प्र0से0 (2013), उप विकास आयुक्त-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, अररिया को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, सिवान के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत सिवान जिला का जिला दण्डाधिकारी भी उन्हें नियुक्त किया जाता है।

2. सुश्री रंजिता अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, सिवान के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

संख्या-1/पी0-1001/2016(खण्ड)-सा0प्र0-7403 /पटना-15, दिनांक: 5 जून, 2018

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा-आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/ सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/ महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/ मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/संबंधित सभी विभाग/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित पदाधिकारी/अवर सचिव(वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/भू-संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/ आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1,6 एवं 14 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।